



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून

फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2018

[Draft UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018]

पर जन-सुनवाई

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zd) एवं 181(2)(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2018 जारी किया गया था। उक्त प्रारूप विनियम पर सुझाव/आपत्तियाँ प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 21.05.2018 थी।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 26.06.2018 को प्रातः 11.00 बजे जन-सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सचिव